MR. CHAIRMAN: It is a different question. *(Interruptions)* I understand your point. You must put a different question. *(Interruptions)*

SHRI JOY NADUKKARA: In view of the fact that Kanyakumari is a tourist centre, will the Railways discard the ageold bogies attached to the trains to Kanyakumari and attach new bogies?

SHRI RAM VILAS PASWAN: That can be considered.

बाढ़ नियंत्रण के उपाय

*326. **श्री रामजीलाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) हरियाणा में बाढ़ की रोकथाम के लिए केन्द्रीय सहायता की कितनी राशि प्रदान की गई है और उसे कितनी राशि की आवश्यकता थी?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग में अपनी रिपोर्ट (1980) में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए 207 सिफारिशें की हैं। 1987 में भारत सरकार के सचिव (डब्ल्यू० आर०) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा बाढ़ प्रबन्ध के लिए गठित दो समितियों, जिनमें से एक उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए तथा दूसरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए थी, ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की, जिसकी एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आगे जांच की गई है और उनकी सिफारिशों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्यों को भेजा गया है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के अत्यधिक बाढ़ प्रवण घाटियों के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड जैसे केन्द्रीय संगठनों ने, राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत स्कीमें बनाने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए, व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की है।

योजना आयोग द्वारा राज्यों को योजनागत धनराशि ब्लाक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण हेतु हरियाणा राज्य के लिए 52 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय रखा गया था। मार्च, 1994 तक वास्तविक व्यय 23.92 करोड़ रुपए, 1994-95 में प्रत्याशित व्यय 9.68 करोड़ रुपए तथा 1995-96 के लिए स्वीकृत परिव्यय 10 करोड़ रुपए है। वर्ष 1996-97 के लिए 11 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

श्री रामजीलाल: चेयरमैन सर, मैं ने आदरणीय मंत्री जी से पूछा था कि देश में बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? मंत्री जी ने अपने विवरण में बताया कि भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए 207 सिफारिशें की है। राज्य सरकार द्वारा विस्तृत स्कीम और उन के कार्यान्वयन के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पीछे पिसी-पिटी रिपोर्ट वहां पटल पर रखी गयी है । सर, पीछे सारा हरियाणा बाढ़ से डूब गया था, इसलिए मैं ने पूछा है कि आपने बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, my colleague will reply because it relates to floods.

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): सभापति जी, आम तौर से बाढ़ और उसे रोकने का इंतजाम राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हुआ करती है । सन् 1980 में श्री जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में एक कमेटी बाढ़ आयोग के नाम से बनी थी । उस ने कुछ सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी थीं और उन सिफारिशों के मुताबिक राज्य सरकारें काम करती है। कहीं-कहीं नहीं भी करती है। मान्यवर, हरियाणा में मुख्य रूप से बाढ़ जमुना और साहबी नदी के कारण आती है और वहां बाढ़ का मुख्य कारण अतिवृष्टि होता है। इस के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए है। उन में केन्द्र सरकार जो भी सहायता, सहायता मायने हुआ करता है रुपए-पैसे की कम टैक्निकल ज्यादा, वह समय-समय पर देती रही है।

श्री रामजीलाल: चेयरमैन सर, मंत्री महोदय का यह कहना कि राज्य सरकारों का काम है, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। अगर इस तरह की बाढ़ जैसी कि पिछले साल हरियाणा के 17 जिलों में से 12 जिलों में बाढ़

आई ओर इतनी बाढ़ आई कि रोहतक, पाणी, हिसार में दस-दस, बारह-बारह फुट गहरे पानी में लोगों के मकान डूब गए और मवेशियों व जान-माल का नुकसान हुआ। केन्द्र सरकार ने मदद भी की, लेकिन यह कह देना कि केन्द्रीय सरकार के बजाय यह राज्य सरकारों का काम है, यह मैं समझ नहीं पाया । अब इन्होंने विवरण में दिया है कि हरियाणा के लिए 1994-95 में 9.68 करोड़, 1995-96 में 10 करोड़ और 1996-97 के लिए 11 करोड़ दिए हैं। मान्यवर, इस साल भी हरियाणा में फरीदाबाद गुड़गांव में बड़ी भारी बाढ़ आ गयी जिस से जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ। मैं मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि इन हालात में, जैसे राजस्थान में अलवर में पानी आकर गुड़गांव में घुस गया और बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ। तो इस की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं और अगर है तो विवरण से बताए कि कि इस के लिए क्या करने जा रहे हैं यही मेरा प्रश्न है और यही मैंने पूछा है कि केन्द्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों को क्या सहायता करेगी? मान्यवर, यह बहुत जरूरी है, सरकार इस संबंध में बताए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, जहां तक हरियाणा में पिछले साल बाढ़ आयी और उस के लिए जो रिलीफ का काम हुआ, वह कृषि मंत्रालय के मार्फत होता है। इस साल भी जो बाढ़ आई है, उस का अंदाज लेने के, लिए, उस के असेसमेंट के लिए एक सरकार की टीम हरियाणा जाएगी। और वहां से जो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कार्यवाही होगी। वह टीम चली गई, जैसा कि माननीय कृषि मंत्री जी बता रहे हैं। जहां तक इस तरह की बाढ़ों की रोकथाम का सवाल है, हरियाणा की सरकार अगर कोई प्रस्ताव भेजेगी, उनका कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके बारे में केन्द्र सरकार विचार करेगी।

श्री गया सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं, जैसा कि बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने अभी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में 18 जिला बाढ़ से ग्रसित है और वहां काफी लोग इस बाढ़ से मरे भी है, 30 से ज्यादा, जैसा कि अखबारों में भी आया है और करोड़ो रुपए की क्षति भी हुई है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़, खासतौर से उत्तर बिहार में यह बाढ़ नेपाल की नदियों से आती है और इसकी एक लंबी योजना पहले से चल रही है, तो क्या सरकार इस बाढ़ की रोकथाम करने के लिए नेपाल सरकार से बात करेगी? यह भारत सरकार की बात है, यह राज्य से बाहर की बात है और परमानेण्ट बाढ़ से यह 18 जिला हर साल क्षतिग्रस्त होता है, तो क्या भारत सरकार कोई ऐसे कदम उठाएगी, जिससे नेपाल की सरकार के साथ मिलकर उन नदियों में रुकावट पैदा कर बाढ़ की रोकथाम हो सके?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, यह सही है कि बिहार में ज्यादातर नदियों में बाढ़ नेपाल से आने वाली नदियों से होती है। यह भी सही है कि नेपाल से आने वाली नदियां अपने साथ ज्यादा रेत लाती है, उससे तल क्षेत्र ऊपर होता जाता है। इसके बारे में एक इण्डो-नेपाल सब-कमीशन काम करता है। इण्डो-नेपाल कमीशन तो कई तरह के मामलों पर विचार करने के लिए है, बाढ़ के मामले में सब-कमीशन काम करता है। अभी हमने कृषि मंत्री जी का बयान अखबार में आज बढ़ा कि बिहार की सरकार को चाहिए कि नेपाल की सरकार से संपर्क करके इसका कोई रास्ता निकाले। यह विषय बिहार की सरकार का है नहीं, केन्द्र सरकार ही करेगी। इण्डो-नेपाल कमीशन को और सक्रिय किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि बिहार में जो आने वाली बाढ़ है उसको रोकने का क्या रास्ता निकाला जा सकता है।

श्री गया सिंह: जो मौत हुई है, उसकी कोई क्षति-पूर्ति आप करेंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र: यह कृषि मंत्रालय का विषय है और वह मंत्री जी खुद उसकी जांच करने गए थे उधर । हमारा ख्याल है कि वह उस पर रिपोर्ट आने के बाद विचार करेंगे ।

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, ऐसा है कि बिहार की सरकार ने अभी तक कितने लोग मरे हैं, उसकी 38 परसन की फिगर उन्होंने वहां दिया था और उसी मीटिंग में बहुत से माननीय सदस्यों ने कुछ और लोगों के नाम बताए। ....(व्यवधान)...

श्री सतीश अग्रवाल: मंत्री जी, आप जवाब दे रहे है यहां सवाल कर रहे हैं उन मंत्री जी को? ... (व्यवधान)...

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir, how can a Minister put questions? .... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: This question relates to the Ministry of Agriculture.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: अभी तो उत्तर दिया गया। साफ स्पष्ट है कि जल संसाधन मंत्री ने ज्वायंट रेस्पोन्सिबिलिटि में सप्लीमेंटरी का जवाब दिया। ...(व्यवधान)...

श्री चतुरानन मिश्र: नहीं, नहीं, मंत्री महोदय ने कहा कि कृषि मंत्री वहां गए थे और यह विषय उनके विभाग का है।

श्री सतीश अग्रवाल: नहीं, नहीं, मैं ऐसे ही जोक कर रहा हूं। समझ गया। ... (व्यवधान)...

श्री चतुरानन मिश्र: अच्छा मजाक कर रहे थे। आपको मजाक करने का अधिकार है। मैंने यह कहा कि 38 परसन का उन्होंने नम्बर दिया, लेकिन दूसरे एम०एल०ए० लोगों ने कुछ और नाम बताए। ज्यों ही फाइनल वहां से आ जाता है, तब प्राइम मिनिस्टर फंड से चला जाएगा वह रुपया, जो कि अलग है और राज्य सरकार अलग देगी।

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, at the request of the State Governments, the Central Monitoring Committee visits the flood-affected areas. Generally, if any State Government requests for Rs. 100 crores to meet the requirements of the flood-affected areas and to help the agricultural community, the Government of India may grant only Rs. 10 crores. I would like to know on what basis the demand of the State Governments for flood relief amount is decided by the Government of India.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, माननीय अग्रवाल साहब ने मजाक किया, लेकिन यह सच है कि बाढ़ से जो नुकसान होता है, उसकी क्षति-पूर्ति का काम कृषि मंत्रालय का ही है, जल संसाधन मंत्रालय का नहीं है।

इसलिए माननीय चतुरानन मिश्र जी ने अगर जवाब दिया तो गलत नहीं किया। उनका विभाग था, उनका काम था।

श्री सतीश अग्रवाल: आपने तो बहुत सीरियस ले लिया हमारे इंटरप्शन को। चतुरानन मिश्र जी यहां बैठकर के किसी तरह ह्यूमर करते थे, अब बिल्कुल भूल गए है। अब बहुत सीरियस हो गए है। उस चीज को, आपके ह्यूमर को हम बहुत याद करते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: हमने तो एंजाय किया।

श्री एन०के०पी० साल्वे: हम लोग मिस करते है आपको, आप यहां आ जाइए। ... (व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम: आपके रुखसत के चलते उनका ह्यूमर खत्म हो गया।

श्री जनेश्वर मिश्र: माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है कि राज्य सरकारें बाढ़ से नुकसान के बारे में अगर 100 करोड़ रुपया मांगती है तो सेंट्रल टीम 10 करोड़, 15 करोड़ देती है। क्या वजह है कि सेंट्रल टीम इतना कम पैसा आंकती है। सभापति महोदय, जो कुछ भी बाढ़ से नुकसान होता है या बाढ़ की समस्याएं आती हैं उनके बारे में मैंने शुरू से ही कहा कि इन सब का इंतजाम राज्य सरकार का है। जितना मांगती है। उसमें केन्द्र के बजट में जो पैसा होता उस हिसाब से मदद की जाती है और हम समझते है यह ठीक है।

SHRI CHATURANAN MISHRA May I supplement it?

इनका है बाढ़ लाने का हमारा रिलीफ देने का। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें ऐसा है कि दसवें वित्त आयोग के मुताबिक एक रिकमंडेशन किया जिसमें एक कोर्पस फंड बना इस समस्या के निदान के लिए, नेच्युरल कलेमिटी के लिए। करीब 7000 करोड़ का वह फंड है। उसमें से केन्द्र सरकार को सिर्फ 700 करोड़ मिला। बाकी जो है वह दोनों का मिला हुआ कोर्पस है। तो मेजारिटी जो है 6300 करोड़ वह राज्य सरकार का बंटा हुआ है, उसमें सेंटर भी हिस्सा लेता है। वह जब-जब चाहते है तो मेजर पार्ट दे देते है, जितना भी चाहते है हम दे देते है। हमको तब देना है जब रियर सिचियूरिटी हो, तो आम तौर पर उस तरह की घटना घटती नहीं है और जब कभी-कभी घट जाती है तो उसके लिए भी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें मुख्य मंत्री है और कृषि मंत्री उसकी अध्यक्षता करते है और केन्द्र के दूसरे मंत्री भी समय समय पर बैठ कर गंभीरता को देखकर के और सेंट्रल टीम की रिपोर्ट को देख करके उसमें से भी फंड देते है। लेकिन मेजर

फंड वह जब चाहते है बराबर लेते है। इससे एक बड़ी सुविधा हुई है कि राज्यों को दौड़-दौड़ कर हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। यही स्थिति है।

श्री राघवजीः दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया, एक लोक सभा में गया, एक राज्य सभा में गया।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालियाः सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो 1980 में बनाया गया था उसने 207 रिकमंडेशन की हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है कि बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए। सभापति महोदय, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जो गंगा की विभीषिका से हर साल पीड़ित होता है। जिस गंगा मैया को लोग कहते हैं कि - गंगा मैया तोहे पीहरी चढ़हवो। वही गंगा विभीषिका के रूप में चढ़ आती है और पूरे जानमाल सब को क्षति पहुंचाती है। सभापति महोदय, गंगा फ्लड कमीशन और ब्रहमपुत्र फ्लड कंट्रोल कमीशन बनाया गया था। पूरे दुख की बात है कि ब्रहमपुत्र फ्लड कंट्रोल कमीशन में अभी विधिवत् अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। सभापति महोदय, पेड़ काटने से लेकर सब जगह को इससे जोड़ा जाता है कि मिट्टी पहाड़ों की दरियाओं की पाट पर पहुंच रही है और दरिया अपने रुख बदल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 207 अनुशंषा की गई हैं उसमें यह अनुशंषा है कि क्या दरियाओं की गहराई को बढ़ाने के लिए ड्रेजिंग कारपोरेशन के द्वारा, ड्रेजर्स के द्वारा नदी की गहराई बढ़ाने के लिए उसकी मिट्टी निकाली जाए?

क्योंकि देखने में आया है आर्सेनिक बेल्ट को गंगा क्रॉस कर रही है और मालदा और कलकत्ता के नजदीक आर्सेनिक का पानी वहां के गांव के लोग पी रहे हैं। किसी का कान गल कर गिर रहा है, किसी की नाक गल रही है, अनेक अंग गिर रहे हैं। तो गंगा जो भारत में पवित्र मानी जाती है, वह ऐसे विभीषक आर्सेनिक रूप में क्यों बदल रही है? इसमें हमारी कमजोरियां हैं और ये कमजोरियां इसलिए हैं कि पुराने दिनों में गांव के लोग, नाव चलाने वाले लोग नदी की गहराई को बढ़ाने के लिए उसकी मिट्टी को काट कर बाहर निकालते थे। अब उसका काम बंद हो गया है। सभापति महोदय, मैं साफ लफ्ज़ों में मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई अनुशंसा इस बाढ़ आयोग ने की है या नहीं की है? और अगर नहीं की है तो क्या आप ड्रेजर्स कारपोरेशन को यह काम सौंपेंगे कि गंगा और दूसरी नदियों की गहराई बढ़ाने के लिए उसकी मिट्टी काट कर बाहर निकाली जाए? इससे दो काम होंगे, एक तो यह कि नदी की गहराई बढ़ जाएगी, हमारा वाटरवेज़ कारपोरेशन आएगा और दूसरे, रूरल इलाकों के लोगों को जो गंगा के किनारे रहते हैं, नौकरी मिल जाएगी।

श्री जनेश्वर मिश्रः सभापति महोदय, नदियों की गहराई बढ़ाने के लिए उनकी खुदाई करके उनको गहरा करने की कोई भी योजना नहीं है। यह बहुत मुश्किल काम है और सारे देश के पैमाने पर इस काम को करना असंभव होगा। उनकी बाढ़ को रोकने के लिए कुछ तटबंध या दूसरे उपाय तो हैं लेकिन खुदाई करके उनकी गहराई बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Shri Satish Agarwal.

SHRI SATISH AGARWAL: Thank you very much, Mr. Chairman. My question is in two parts addressed to my brothers. Part one of the question is regarding floods. The Rastriya Bad Aayog submitted its report in 1980. Two committees were constituted to look into this — one for the eastern region and the other for Uttar pradesh, Bihar, West Bengal and Orissa. Sir, during the last 16 years, the climatic conditions are changing. For example, in Rajasthan which was a famine stricken State of the country, for every two, three or four years continuously there used to be a famine. Now there are floods. Heavy damage was caused to Rajasthan on acount of these floods. This question is directed to Shri Janeshwar Misra. I would like to know whether he will constitute a seperate committee to look into the problems of those States which were not having floods in 1980 or for some time thereafter, but are now having floods during the last five years. A change has taken place in some of these States where floods have caused great havoc.

My second part of the question is directed to Shri Chaturanan Mishra. I want to know from the hon. Minister what releif he is going to give to the victims *(interruptions). Your teams have gone to Rajasthan. As per your statement laid on the Table of the House, heavy damage has been caused to human life and animals. And as per your statement*

laid on the Table of the House last year and the information supplied, maximum damage to houses was caused in Rajasthan due to floods. I want to know from the Minister whether he is going to constitute a Committee for the rest of the States to look into these problems. I further want to know from him whether he is providing any additional relief to Rajasthan after the visit of Central Teams which he has sent to Rajasthan to look into the damage.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, यह सही है कि 1980 के बाद बाढ़ का चरित्र कई जगहों पर बदला है और जिन राज्यों से बाढ़ के बारे में, बाढ़ आयोग की सिफारिशों के बाद की स्थिति के बारे में रिपोर्ट आती है, उस पर विचार किया जाता है। राजस्थान में बाढ़ आम तौर से बरसात के कारण आती है। अगर राजस्थान सरकार इसके बारे में केन्द्र सरकार को लिखे तो वहां की जांच के लिए कोई कमेटी जरूर बनाई जाएगी।

श्री सतीश अग्रवाल: मैं केवल इतना ही नहीं कह रहा हूं। और भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहां बाढ़ आती है, यू० पी०, बिहार आदि।.....**(व्यवधान)**.....

श्री जनेश्वर मिश्र: बाढ़ और मौसम का रूप चूंकि बदला है जिसकी वजह से कई नई जगहों पर बाढ़ आ जाया करती है। उसमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है। राजस्थान में जयपुर में बाढ़ आ गयी थी तो यह अतिवृष्टि के कारण ही आयी है। क्योंकि जयपुर कटोरी जैसा बना हुआ है और इन समस्याओं पर गौर करने के लिए कुछ रास्ते ड्रेनेज और पम्पिंग के ही होते हैं लेकिन जयपुर में पम्पिंग नहीं हो सकती, यह पहाड़ के बीच में बसा है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां से पम्प से पानी नहीं निकाला जा सकता, वह झील में ही जाएगा।

श्री सतीश अग्रवाल: सात दिन तक 6-6 फुट पानी शहरी की चारदीवारी के अंदर पड़ा रहा, उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह नया फीचर वहां डैवलप हुआ है।

श्री जनेश्वर मिश्र: यह नयी किस्म की तस्वीर है और इस पर मंत्रालय गौर कर रहा है।

fixed for 8th August 1996. If I get the report by that time, then I will put it before the Committee. I think the Committee will take proper care of it.

SHRI SATISH AGARWAL: I thank you in advance for the interest in Rajasthan.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Advance has already been given, I do not think what further advance can be given.

MR. CHAIRMAN: Shri Surjewala.

श्री एस० एस० सुरजेवाला: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में पिछले साल पूरी एक सदी का रिकार्ड तौड़ और इतना जबर्दस्त फ्लड आया जिसमें हजारों नहीं, लाखों मवेशी मारे गये और लाखों एकड़ जमीन में पानी भर गया। पानी आज भी नहीं निकला है। सभापति महोदय, इसका कारण यह है कि हरियाणा ऐसा प्रान्त है जिसमें कोई दरिया नहीं है, नदी नहीं है, झील नहीं है और वह एक प्लेट की तरह बसा है जिसके एक तरफ राजस्थान है और दूसरी तरफ हिमालय है। उसका लैवल इस तरह का है कि सिवाय दिल्ली के नजदीक के ढांसा बांध के उसके ईद-गिर्द के जो जिले हैं, सोनीपत है, रोहतक है, गुड़गाव है, वहां से पानी निकल नहीं सकता और दिल्ली ने उस पानी को निकालने से रोक दिया है। अब हरियाणा की स्थिति यह है कि हरियाणा में पैक्यूलर पोजीशन हो गयी है। वहां कोई दरिया नहीं है, जहां फ्लड का पानी जा सके। लैवल परमिट नहीं करते हैं। तो मैं भारत सरकार से और मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि हरियाणा के पिछले साल के फ्लड लैवल को देखते हुए, इस साल भी चार जिलों में भारी फ्लड है, मंत्री महोदय वहां के लिए विशेष योजना बनाएं और उस योजना के तहत दिल्ली और नेवरली स्टेट्स को उसके अंदर शामिल किया जाए तथा फ्लड को रोकने के लिए हरियाणा के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके अतिरिक्त वहां के लिए विशेष फंड पांच-साला प्लान में रखा जाए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, जिन इलाकों के पहले बाढ़ नहीं आया करती थी और अब आने लगी है, उसके बारे में मैंने माननीय सतीश अग्रवाल जी के जवाब में ही बता दिया है। हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में से एक और मंत्रालय टास्क फोर्स गठित कर रहा है, केवल उन्हीं जिलों के बारे में उन्हीं सूबों के बारे में जहां पर पहले बाढ़ नहीं आया करती थी। रही बात दिल्ली और हरियाणा की, तो यह अन्तर्राज्य मामला हो जाता

है। इस संबंध में दोनों राज्यों की सरकारों को एक जगह बिठाकर रास्ता निकाला जा सकता है और वह किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में कुछ नदियों को नदी कार्य योजना में शामिल किया जाना

327. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कार्य योजना जैसी कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना संबंधी नीति क्या है और इसके मापदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या मध्यप्रदेश की कुछ नदियों को नदी कार्य योजना में शामिल करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किन-किन नदियों के संबंध में कब-कब प्राप्त हुए हैं;

(ङ) नदी कार्य योजना में किन-किन नदियों को शामिल किया गया है; और

(च) क्या इन नदियों को इस योजना में शामिल किए जाने के बारे में मध्यप्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां। देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नामक एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 10 राज्यों में 18 नदियों के 28 क्षेत्रों को प्रदूषित पाया गया था जिन्हें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। इस स्कीम को केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत में बराबर की हिस्सेदारी से लागू किया जाना है। संचालन एवं रख-रखाव की पूरी लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

(ग) से (ङ) तक मध्यप्रदेश की 7 नदियों के किनारों पर स्थित 11 नगरों के प्रदूषण निवारण कार्यों से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार से सितम्बर-अक्टूबर, 1993 में प्राप्त हुए थे। इन नदियों के नाम: खान, क्षिप्रा, नर्मदा, चम्बल, बेतवा, ताप्ती एवं वैनगंगा हैं। इन सभी नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल कर लिया गया है।

(च) इन नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, में शामिल किए जाने के बारे में मध्यप्रदेश सरकार को अगस्त, 1995 में सूचित कर दिया गया था।

श्री राधाकिशन मालवीय: माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और विशेष करके उन पवित्र नदियों से जो कि नगरों और गांवों में बह करके जाती है और प्रदूषण से इतनी गंदी हो जाती है कि कभी-कभी धार्मिक भावना पर भी बुहत ठेस पहुंचती है। मैं पिछली सरकार को धन्यवाद दूंगा क्योंकि 1995 सितम्बर में मध्य प्रदेश की 7 नदियों को उन्होंने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में स्वीकृति दे दी। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है और बड़ा महत्वपूर्ण है। इनमें से दो नदियां धार्मिक नदियां हैं एक क्षिप्रा और दूसरी नर्मदा। एक नदी सब से गंदी है खान, जिसमें शहर का सारा गंदा पानी गिरता है वह इंदौर शहर में से निकलती है। और तीन नदियां है चंबल, बेतवा ताप्ती और वैनगंगा। ये नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से यह उत्तर जानना चाहता हूं कि खान नदी जो इंदौर शहर के मध्य से हो करके निकलती है पूरे शहर का गंदा पानी उसमें जाता है। पूरा शहरी बीमारी से ग्रसित रहता है। सरकार के हजारों-लाखों रुपये दवाई के ऊपर खर्च होते हैं और उस योजना में इस नदी को भी शामिल किया है। उसी प्रकार से क्षिप्रा है और नर्मदा है। इन नदियों के लिये जो धनराशि इन्होंने स्वीकृत की है तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार ने दी है और मध्य प्रदेश सरकार की कितनी है और यह काम कब तक पूरा होगा?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की नदियों में जो ताप्ती है, वहां बरहामपुर के लिए 158 लाख 79 हजार रुपया और 8 लाख 31 हजार रुपया दिया गया है। खान इंदौर के लिए प्रावधान है 2 करोड़ 11 लाख 91 हजार रुपया, 67 लाख 12 हजार रुपया, 8 लाख 60 हजार रुपया दिया गया है। बेतवा में 36 लाख, 49 हजार, 11 लाख 40 हजार और खान के लिये इंदौर में एक करोड़ 19 लाख रुपया दिया